



State PENSION Portal

Securing the Social Security in Madhya Pradesh




Govt. of M.P.
Social Justice & Disability Welfare Dept.

Social Security Pensions: Target Groups



Social Security Pensions: Eligibility Attributes



Social Security Schemes- Eligibility

Scheme	BPL	Age	Gender	Disability & %	Pension Amount
IGNOAPS	✓	60-64	F/M	✗	300
		65-79			(200 + 100)
		80+			500
IGNWPS	✓	40-79	F	✗	300
IGNDPS	✓	18-79	F/M	✓ 80%	300
SSP-Old Age	✗	60+	F/M	✗	300
SSP-Widow/Deserted	✓	18-39	F	✗	300
SSP-PwDs	✓	18-59	F/M	✓ 40%	300
SSP-Shiksha Protsahan	✓	6-18	G/B	✓ 40%	300

Auto Switching

Additional Social Security Schemes


	Scheme	Eligibility	Amt (Per / month)
1	Kanya Abhibhavak Pension Scheme	Couple having only girl children, Non Income Tax Payee, 60+	500/-
2	Financial Assistance MR/MD	Mentally Retarded / Persons with Multiple Disabilities, 6+	500/-
3	Financial Assistance to Badwani Eye camp victims		5000/-
4	Pension for Old Age Home inmates	Inmates of registered Old Age Homes	300/-

Geographic Coverage

- ▶ Entire State
- ▶ 51 Districts
- ▶ 22,963 GPs
- ▶ ~1 lac Habitations




Scheme-wise Break-up of Beneficiaries



Target - Annual DBT ~1200 Cr

Share



- GoI
- GoMP

- ▶ Govt. of India fund - Rs. 892/- Cr
- ▶ State Govt. fund - Rs. 312/- Cr

Issues

- ▶ **Implementation**
 - Isolated & Manual
 - Individual forms, processes for each scheme
 - Submission of documents required with each form
 - **Field verification** of the beneficiary for that particular scheme
- ▶ **Sanction of new cases**
 - Lengthy & manual process
 - Discretion and delays in decision making
 - Beneficiary Information maintained in voluminous registers
- ▶ **Inclusion, Discontinuation –Manual**
- ▶ **Manual preparation of monthly pension bills**
 - Error prone, Consumed several man days

Issues

- ▶ No centralized and integrated and dynamic database - beneficiary
- ▶ No mechanism for monitoring
 - ▶ Irregular / Delayed payments of pensions
 - ▶ Delay in sanction to eligible
- ▶ **Switching to better schemes ?**
- ▶ **Governance Model** - Reactive and Demand based
- ▶ Budget -
 - Waiting for allotment, Distributed, Under/misutilization
 - Possibility of misuse / parking of funds
- Cash / cheque payments
- ▶ Multiple bills / Heads : **54 bills** prepared by DDO
 - Separate bills for SC / ST / Gen - RLBs, ULBs

Goals - Entitlement based Social Security Assistance

Secure the Social Security

Sanction and disbursal to needy & eligible

- As per their eligibility & entitlement
- In a hassle-free manner
- on the day s/he becomes eligible for scheme

Auto-Switch

- automated and hassle-free switch on the day of eligibility

Goals

Rule-based, error-free, effective & transparent implementation of schemes in a holistic manner

DBT of Pension amount by 5th of every month

Proactive and Entitlement based Governance Model

- Analyze various databases, predict and identify residents who are prima-facie eligible or likely to become eligible for pension schemes.

Ensure effective utilization of budget and financial resources

Identify & weed-out duplicate, fake and non-eligible pensioners

Madhya Pradesh State Pension Portal Online Social Security Schemes Management System

मेरा हक - पात्रता आधारित अधिकारिता (Entitlement Based Governance)


A पेंशन पोर्टल

मध्यप्रदेश शासन "बहुजन कल्याण बहुजन सुखाय" के सिद्धान्त पर चलते हुए मध्यप्रदेश में निवास कर रहे समाज के सबसे कमजोर, निरक्षर वर्ग, कुब, श्रमिक वर्ग, नि:शुल्क-नों के [Read More](#)

पेंशन की पात्रता जाने:

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बुढ़ावस्था पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शुल्क पेंशन
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन
- बुढ़ाविकाया एवं माताशुल्क रूप से अधिकारिता नि:शुल्कजन को अधिक सुखदाता है
- लक्ष्मी अविभागायक पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा बुढ़ावस्था पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा नि:शुल्क पेंशन योजना
- किसानों शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि

पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें



B पात्रता आधारित अधिकारिता

- अपने प्रोफाइल के अनुसार पेंशन खोजें
- पेंशन के आधार पर राशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स की सूची
- बुढ़ा माहू पोर्टल द्वारा किये पेंशनर्स को अधिक लाभ हेतु अन्य पेंशन में स्वयंसेवित किया गया उनको सूची
- पोर्टल द्वारा किये पेंशनर्स को अधिक लाभ हेतु अन्य पेंशन में स्वयंसेवित किया गया उनको सूची [माहू खार](#)

C समीक्षा एवं क्रियान्वयन

- स्वीकृत किये गए पेंशन प्रयोजक: [जिले-वार](#), [स्थानीय निकाय-वार](#)
- पेंशन राशी तथा पेंशनर को संख्या का सारोफ [जिले-वार](#), [स्थानीय निकाय-वार](#)
- पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-नों की सूची : [स्वीकृत](#), [अस्वीकृत](#), [लंबित](#)
- पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदन-नों का सारोफ [जिले-वार](#)
- अपकी पेंशन आगे के द्वार [सहजोल संभाग](#) :: [रिपोर्ट 2](#), [रिपोर्ट 3](#)
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन (बहला-गी) :: [पेंशनर्स की सूची](#)


D पारदर्शी प्रशासन

- डाउनलोड पेंशन स्वीकृति आदेश
- सभी पेंशनर
- स्वीकृत पेंशन आर्डर
- पेंशनर का पासबुक देखें

E ऑनलाइन आवेदन

- पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
- आवेदन की स्थिति जाने


What has been done



Online Request for pension

- ▶ Online intimation / request for pension
 - from public domain
- ▶ Track the status of application
- ▶ Online sanction / rejection as per the rules.
- ▶ Auto-Generated Pension Sanction with QR code order published in public domain on the portal
- ▶ SMS alert is sent to the beneficiary on sanction / rejection.
- ▶ Enforcement of timeline for processing the case as per the provisions of the **Pubic Services Guarantee Act**.

Mash-up of databases





कार्यालय नगर परिषद, नलखेडा
आगर मालवा (म.प्र.)



पेंशन स्वीकृति आदेश

आदेश क्र. : 10072100 /1/2016

दिनांक : 21/01/2016

पेंशन योजना: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना [राशि 200.00 रु]		
समग्र परिवार आईडी : 24075793	समग्र आईडी: 116570456	
हितग्राही का नाम: प्यारेलाल गवली	पिता/पति का नाम:	
जन्मतिथि/आयु: 01 Jan 1956 (60 वर्ष)	लिंग: पुरुष	
वैवाहिक स्थिति: विवाहित	बीपीएल क्रमांक: 657	
जाति वर्ग: अन्य पिछड़ा वर्ग	निवास का वर्तमान पता: 161, Vard No. 3, Nalkheda Zone 1, Nagar Parishad नलखेडा	
बैंक: ALLAHABAD BANK(Nalkheda)[BKID0009567]		
खाता क्रमांक: *****12712		
विकलांग : [नहीं है]		


इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह आवेदक को पेंशन भुगतान उपरोक्त खाता क्रमांक में करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर
(Dinesh Kumar Mishra)
मुख्य नगरपरिषद अधिकारी
मोबाईल नंबर:9425462301


पु. क्रमांक: 10072100 /1/2016
प्रतिलिपि-

दिनांक: 21/01/2016

1. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, आगर मालवा, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु
2. श्री प्यारेलाल गवली, की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सर्वोक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निश्चिन्तन कल्याण, जिला आगर मालवा
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला. आगर मालवा
5. कार्यालयीन प्रति.



What has been done



Direct Benefit Transfer

Pension amount to be sent directly into beneficiaries' a/c

JMC is making all efforts to provide due benefits of all Union and State government run schemes to urban poor. Under these efforts, the civic body is now forwarding benefit amount directly into the account of beneficiaries. The Municipal Corporation has made available the facility of single window for pensioners at its headquarters and all 15 divisional offices.

As per State Government's direction now pension amount will be sent directly into the Bank account of pensioners. Similarly, the JMC has to feed Aadhaar card number, Bank Account number, mobile number, disability certificate (for disabled) of those who have been taking benefits under Indira Gandhi Disabled Social Security Pension, Child Disability and Multiple Disability

and Mentally Challenged Grand under Social Security Pension Scheme. Senior officials of JMC has asked beneficiaries to deposit required documents at nearest Divisional Office or room no. 40 Government Scheme Office at JMC headquarters so that information could be fed on Samagra Pension Portal.

Likewise, senior officials informed that the civic body is also facing problem in providing pension to pensioners who do not have bank accounts. Thousands of pensioners are yet to open accounts. JMC has many a times urged these beneficiaries to get their accounts opened. But the pensioners are not taking the request seriously which is hindering the process of transferring pension money directly into their account.


DBT

राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले खाता में सीधे पहुँचेगा भुगतान


भोपाल, 21 मई. प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित समस्त पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत उन्हीं हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा, जिनका समग्र पोर्टल पर सत्यापन किया जा चुका है. राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर एवं जिला मिशन लीडर समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो जिला डिप्टी मिशन लीडर हैं उन्हें इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं. निर्देशों में कहा गया है कि समग्र पोर्टल पर सत्यापित ऐसे हितग्राहियों जिनके राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते हैं उन्हें पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाये. इसके

अलावा जिन सत्यापित हितग्राहियों के खाते पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंकों में हैं उनको पेंशन का भुगतान करने के लिए जिला स्तर पर आहरण-संवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन राशि आहरित कर नोडल बैंक खातों में रखी जाये. पेंशन योजनाओं की जिला स्तर पर समीक्षा की जायेगी. पेंशन के भुगतान में विलंब न हो उसके लिए जवाबदारी निर्धारित की जायेगी. मृत एवं विस्थापितों को पेंशन का भुगतान न हो इसके लिए भी जवाबदारी निर्धारित होगी. नगर निगम तथा जनपद पंचायत स्तर पर ऐसी पेंशन की राशि जो उनके खातों में अनुपयोगी जमा पाई जायेगी उसका उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा.

DBT: Month wise Progress shifting of account to core banking accounts




What has been done



AUTO-SWITCHING

- The system knows the **Age, BPL status, Marital status and Disability status** of residents.
- The system identifies the persons that are now eligible for other schemes that will offer them **higher pension amount.**
- Software **triggered automated switch** from one pension scheme to other scheme with higher pension amount.



समग्र पोर्टल पर प्रोएक्टिव गवर्नेंस की कवायद

पेंशन योजनाओं में स्विच होंगे हितग्राही

पीपुल्स स्पेशल

तीन लाख से ज्यादा हितग्राही अधिक लाभ वाली योजनाओं में हुए शिफ्ट
अगिल शिखरिया • भोपाल गोवाइल नं. 9424455625

केंद्र एवं राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन पाने वाले बुजुर्गों को अब अधिक लाभ देने वाली पेंशन योजनाओं के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बने समय पेंशन पोर्टल के जरिए पात्रता रखने वाले बुजुर्ग अधिक लाभ वाली योजनाओं में अपने आप शिफ्ट होंगे। प्रदेश में अब तक तीन लाख 22 हजार से ज्यादा ऐसे बुद्ध योजनाओं में शिफ्ट किए जा चुके हैं। राज्य सरकार समय पेंशन पोर्टल के जरिए छह योजनाओं का क्रियान्वयन करती है। इनमें बुद्धों की आयु के अनुसार अधिकतम 300 और न्यूनतम 150 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है।

कलेक्टरों को निर्देश जारी

सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव एम. मोहन राव के अनुसार छह पेंशन


कैसे मिलेगा लाभ

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 18 से 39 वर्ष की बीपीएल विधवा महिला को 150 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। 40 वर्ष की आयु होने पर ऐसे हितग्राहियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में शिफ्ट किया जाएगा जिसमें 79 वर्ष की आयु तक 300 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 वर्ष 64 वर्ष के बीपीएल निःशर्तों को 200 रुपए, 65 वर्ष से 79 वर्ष के निःशर्तों को 275 रुपए पेंशन मिलती है। इनमें 60 से 64 वर्ष के निःशर्तों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशर्त पेंशन योजना में शिफ्ट किया जाएगा जिसमें 300 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। 65 वर्ष से 79 वर्ष के निःशर्तों को भी इसी योजना 300 रुपए की पेंशन के लिए शिफ्ट किया जाएगा।


योजनाओं का क्रियान्वयन एनआईसी द्वारा विकसित समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। पोर्टल पर प्रो-एक्टिव गवर्नेंस के तहत एक पेंशन योजना में सत्यापित एवं लाभान्वित पेंशन हितग्राही, जो योजना की शर्तों को पूरा कर किसी अन्य पेंशन योजना के लिए पात्र हों तथा अन्य योजना में अधिक लाभ के लिए पात्र होंगे, उन्हें अधिक लाभ वाली पेंशन योजना में स्वतः ही ऑटो शिफ्ट करने की सुविधा पोर्टल पर शुरू की गई है। अधिक लाभ वाली योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को स्थानीय निकायों को किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर इस संबंध में सुचित भी किया है।

5,85,826 Pensioners AUTO-SWITCHED

Pensioners switched from one pension scheme to other with higher entitlement



Timely Disbursal



'm-Pension Mitra' – Mobile App



Users

- GP Secretary/Ward Officer
- Beneficiary / Pensioner
- Public
- CEO ZP/ Collector / Local Bodies

▶ Features

- Offline Operations
- QR code reader
- Push Notification
- GPS feature
- Application operated Camera
- Geo-tagged / geo-stamped images for verification
- Image compression / resize



'm-Pension Mitra' - Mobile App



▶ GP Secretary/Ward Officer

- ▶ Annual Physical verification of pensioners : Geo-tagged images
- ▶ Updation of Profile of pensioner : Mobile, Aadhaar Number, photo, bank account number
- ▶ View list of beneficiaries
- ▶ View sanction orders, verify sanction orders
- ▶ List of persons who are likely to be eligible for pension scheme as per the data
- ▶ Pendency reports for corrective actions / updations
- ▶ Receive push notifications
- ▶ Issue push notifications to pensioners
- ▶ List of discontinued pensioners
- ▶ Report deaths

▶ Janpad CEO / ZP CEO / Collector

- Monitoring dashboards



'm-Pension Mitra' - Mobile App



- ▶ Pensioner / Applicant / Public
 - View profile of pensioner
 - View pension passbook
 - Know Schemes, Rules
 - Check eligibility
 - Submit Online intimation / request for Pension
 - Track Application Status
 - Download sanction order
 - Verify sanction orders using QR codes
 - Grievances
 - Feedback
 - Information Videos
 - BPL Status, BPL families
 - Beneficiaries, Report non-eligible people

'm-Pension Mitra' - Mobile App



The screenshot displays the m-Pension Mitra mobile application interface. At the top, it shows the app title and version (1.1-08/11/16). Below this, there is a header with the text 'मोबाइल एप में आपका स्वागत है' and the URL 'http://pensions.samagra.gov.in'. The main content area is divided into several sections:

- Top Section:** Features the app logo and a profile picture of a man, likely a representative or official.
- Services Section:** Contains icons for 'प्रोफाइल दर्ज करें' (Profile Register), 'QR कोड पढ़ें' (Scan QR Code), 'मोबाइल एप क्या है' (What is Mobile App), 'सर्कुलर निर्देश' (Circular Instructions), and 'सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न' (Frequently Asked Questions).
- Online Services Section:** Includes 'पेंशन योजनाएँ' (Pension Schemes), 'पात्रता जानें' (Check Eligibility), 'ऑनलाइन आवेदन करें' (Apply Online), 'ऑनलाइन आवेदन का स्टेटस' (Check Online Application Status), 'सुवीकृति आर्टिस देखें' (View Verification Artifacts), and 'पेंशन पासबुक' (Pension Passbook).
- Services for Beneficiaries Section:** Lists 'पंजीकृत यूजर के लिये ऑनलाइन सेवाएँ' (Online Services for Registered Users), 'स्वामीय निकाय' (Ownership), 'जिला पंचायत सी.ई.ओ.' (District Panchayat C.E.O.), 'कलेक्टर' (Collector), and 'पारदर्शी प्रशासन' (Transparent Administration).
- Other Services Section:** Includes 'तिरपट्टियों की सूची' (List of Grievances), 'बीपीएल कार्ड धारक परिवारों की सूची' (List of BPL Cardholder Families), and 'अन्य सेवाएँ' (Other Services).

At the bottom, there is a footer with logos for 'Designed & Developed By' and 'NIC'.

'm-Pension Mitra' - Mobile App



एम्-पेंशन मित्र 1.1-09/11/16 Be...

स्वागत है लॉग इन

ऑनलाइन सेवार्यें

हितग्राही जिनका फोटो अपलोड होना लंबित

हितग्राही जिनका मोबाइल दर्ज होना लंबित

हितग्राही जिनका आधार दर्ज होना लंबित

पेंशन हेतु संभवतः पात्र व्याक्तियों की सूची

२ माह बाद पेंशन के लिए पात्र होने वाले संभावित व्यक्ति

अपात्र हितग्राहियों की सूची

हितग्राही जिनका खाता पोस्ट ऑफिस में है

मृत हितग्राही की सूचना दें

हितग्राही सम्बंधित ऑनलाइन सेवार्यें

हितग्राही का वार्षिक भौतिक सत्यापन करें

हितग्राही की प्रोफाइल देखें

हितग्राही की प्रोफाइल अपडेट करें

Aapki Pension, Aapke Dwar



Aapki Pension Aapke Dwar



भारत का पत्र हिताग्रहियों को दूधने स्कूटी पर निकले मंत्री

एक सप्ताह में सामाजिक सुरक्षा खाते से जुड़ बुजुर्ग, कलेक्टर ने निर्देश

बुजुर्गों को घर जाकर दी जाएगी पेंशन

भारत संवाददाता | दरभंगा

सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित घर छोड़ने से अधिक बुजुर्गों तक पहुंचने के लिए प्रधान विधायी कर रहे हैं। कलेक्टर भद्र कुमारी ने इसके लिए कठिनाई काटने के उपाय किए हैं कि सप्ताह दिनों में मिले हैं सभी बुजुर्गों को। इसमें भी वंचितों में भी दिव्य हुए।

बता दें कि समाज में 40 लाख से अधिक उम्र के लगभग 15 करोड़ बुजुर्ग हैं। इनमें से लगभग 11 करोड़ बुजुर्गों को ही इसमें शामिल किया जा रहा है।

कलेक्टर भद्र कुमारी ने बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है।

आवदेन दिया तो तत्काल मिली पेंशन

दरभंगा, 7 अक्टूबर को के घर को बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए आवेदन दिया तो तत्काल मिली पेंशन। कलेक्टर ने बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है।

कलेक्टर ने दो जगह जलवायु अंतर

कलेक्टर ने दो जगह जलवायु अंतर का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है।

निकलेगी वृद्धजन सम्मान रैली, एक हफ्ते में होगा पेंशन प्रकरण का निराकरण

कलेक्टर ने वृद्धजन सम्मान रैली निकालने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है।

कलेक्टर ने दो जगह जलवायु अंतर

कलेक्टर ने दो जगह जलवायु अंतर का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है।

Aapki Pension Aapke Dwar

मंत्री ने मशीन चलाई, तो कलेक्टर ने पेंशन बांटी

पेंशन आपके द्वार योजना का समारोह में शुभारंभ



भारत संवाददाता | दरभंगा

पेंशन आपके द्वार योजना के तहत कलेक्टर को ग्राम सभाया में बुजुर्गों को पेंशन बांटी। कलेक्टर ने बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है।

कलेक्टर ने दो जगह जलवायु अंतर

कलेक्टर ने दो जगह जलवायु अंतर का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने 'आपकी पेंशन आपके द्वार' योजना का क्रिया शुभारंभ एटीएम कार्ड के माध्यम से वितरित होगी पेंशन



भारत संवाददाता | दरभंगा

पेंशन आपके द्वार योजना के तहत कलेक्टर को ग्राम सभाया में बुजुर्गों को पेंशन बांटी। कलेक्टर ने बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है।

कलेक्टर ने दो जगह जलवायु अंतर

कलेक्टर ने दो जगह जलवायु अंतर का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को घर जाकर पेंशन देने का निर्देश दिया है।



NIRAMAYA- (Health Insurance Scheme)

- ▶ Run by The National Trust, GoI (a statutory body of the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India)
 - Health Insurance to PwDs (MR/MD)
 - Health insurance cover of up to Rs. 1.0 lakh /FY.
- ▶ Enrolment (Premium) Fees
 - Rs. 250/- for BPL
 - Rs. 500/- Non-BPL
- ▶ Automated sanction of Benefit of Scheme extended to 55,631 Pensioners of MR/MD Financial Assistance Scheme.
 - Data of MR/MD sharing to National Trust.
 - Proactive and Automated enrollment without any application process.
 - Premium of Rs. 2.93 Crores paid for enrolled.


NIRAMAYA- Card (Health Insurance Scheme)



Service Accountability, Reliability & Transparency


Dissemination of all process information in public domain

- Pension Sanction orders : New applications
- Rejection orders : New applications
- List of all pensioners : Existing Beneficiaries
- Online pension passbook : Existing Beneficiaries
- Pension Auto-switch orders : Existing Beneficiaries
- Pension Discontinuation orders : Ineligible Beneficiaries
- Online Pension Calculator : Public at large



Development and next steps

- ▶ In-house development by NIC, MP
- ▶ Incremental approach of development
- ▶ Next steps of
 - Aadhar authentication of database
 - Aadhar as financial address
 - Nodal account at State level
 - Geotagging of households



Thank you

